

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/3939

दिनांक: 07/06/2022

**बजट आवंटन आदेश-15**

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-22 : **Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars** में निम्न वर्णित सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 22 : Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars.			
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment	
		Physical Targets (Pillars/Nos.)	Total Amount (@ 0.02350 lacs per Pillars)
		100	2.35000
1	उ.व.सं. अजमेर	500	11.75000
2	उ.व.सं. भीलवाड़ा	300	7.05000
3	उ.व.सं. नागौर	400	9.40000
4	उ.व.सं. टोंक	500	11.75000
5	उ.व.सं. भरतपुर	1000	23.50000
6	उ.व.सं. धौलपुर	500	11.75000
7	उ.व.सं. करौली	200	4.70000
8	उ.व.सं. सवाई माधोपुर	100	2.35000
9	उ.व.सं. बीकानेर	400	9.40000
10	उ.व.सं. इ.गा.न.परि. स्टेज-II बीकानेर	100	2.35000
11	उ.व.सं. इ.गा.न.परि. स्टेज-I छतरगढ़	50	1.17500
12	उ.व.सं. चूरु	200	4.70000
13	उ.व.सं. श्री गंगानगर	260	6.11000
14	उ.व.सं. हनुमानगढ़	200	4.70000
15	उ.व.सं. बाड़मेर	100	2.35000
16	उ.व.सं. जैसलमेर	100	2.35000
17	उ.व.सं. इ.गा.न.परि. स्टेज-II जैसलमेर	150	3.52500
18	उ.व.सं. जालौर	200	4.70000
19	उ.व.सं. जोधपुर	200	4.70000
20	उ.व.सं. पाली	111	2.60850
21	उ.व.सं. सिरोही	162	3.80700
22	उ.व.सं. जयपुर	1050	24.67500
23	उ.व.सं. अलवर	250	5.87500
24	उ.व.सं. दौसा	50	1.17500
25	उ.व.सं. जयपुर उत्तर	500	11.75000
26	उ.व.सं. झुंझुनू	200	4.70000
27	उ.व.सं. सीकर	500	11.75000
28	उ.व.सं. कोटा	500	11.75000
29	उ.व.सं. बारां		

30	उ.व.सं. बूढी	200	4.70000
31	उ.व.सं. झालावाड़	500	11.75000
32	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	427	10.03450
33	उ.व.सं. बांसवाड़ा	1206	28.34100
34	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़	400	9.40000
35	उ.व.सं. डूंगरपुर	502	11.79700
36	उ.व.सं. प्रतापगढ़	500	11.75000
37	उ.व.सं. उदयपुर	232	5.45200
38	उ.व.सं. वन्य जीव भरतपुर	100	2.35000
39	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (प्रथम) रण. बाघ. परि. सवाई माधोपुर	200	4.70000
40	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ. परि. करौली	200	4.70000
41	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर	150	3.52500
42	उ.व.सं. वन्य जीव जोधपुर	100	2.35000
43	उ.व.सं. वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही	100	2.35000
44	उ.व.सं. वन्य जीव जैसलमेर	100	2.35000
45	उ.व.सं. वन्य जीव जयपुर	100	2.35000
46	उ.व.सं. वन्य जीव सरिस्का अलवर	100	2.35000
47	उ.व.सं. वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	200	4.70000
48	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	200	4.70000
49	उ.व.सं. एम.एन.पी. कोटा	200	4.70000
50	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	100	2.35000
51	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	200	4.70000
52	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	100	2.35000
	योग	15000	352.50000

- 1 **Prior to implementation of above activities, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan. Whereas, activities proposed in forest fire prevention and control operations should be as per Integrated Fire Management Plan.**
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाये।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाये।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जाये।
- 7 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 8 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जाये तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जाये।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जाये।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shikha

( शिखा मेहरा )

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 07/06/2022

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/3939-4009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर /वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर/बीकानेर/इ.गान.परि. स्टेज-आ बीकानेर/इ.गान.परि. स्टेज-आ छतरगढ़/चूरु/श्री गंगानगर/हनुमानगढ़/बाड़मेर/जैसलमेर/इ.गान.परि. स्टेज-आ जैसलमेर/जालौर/जोधपुर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/दौसा/जयपुर उत्तर/झुंझुनू/सीकर/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/उ.क्षे.नि. (प्रथम) रण. बाघ. परि. सवाई माधोपुर/उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ. परि. करौली/वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही /वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर/वन्य जीव कोटा/एम.एन.पी. कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

( आकांक्षा जोशी )

उप वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर।